विभागीय वेबसाइट हेतु आडिट अनुश्रवण अनुभाग की सामग्री

1. उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 64 (1) के अन्तर्गत प्रत्येक सहकारी समिति का प्रत्येक सहकारी वर्ष में आडिट किये जाने का प्राविधान है । धारा 64 (1) निम्न प्रकार है :–

" निबन्धक अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति प्रत्येक सहकारी समिति के लेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में कम से कम एक बार करेगा या ऐसे व्यक्ति द्वारा करायेगा जिसे तद्रर्थ लिखित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया हो जो ऐसी अर्हतायें रखता हो जो राज्य सरकार द्वारा तद्रर्थ निर्दिष्ट की जायें "।

2. राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 9166 सी/12–सी–ए–5 (3) –70 दिनांक 29.3.1971 के द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ, एवं पंचायतें उ०प्र० को निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तर प्रदेश की सहायतार्थ नियुक्त किया है तथा इन्हें सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 64 की उप धारा (1) के सम्बन्ध में निबन्धक के अधिकार प्रदान किये हैं । मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी संगठन, जिसके प्रत्येक जनपद में जनपदीय कार्यालय एवं मण्डलीय स्तर पर मण्डलीय कार्यालय हैं, के द्वारा सहकारी समितियों का आडिट किया जाता है। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों का मुख्यालय इन्दिरा भवन , नवमः तल ,लखनऊ में स्थित है । मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एवं पंचायतें शासन के वित्त विभाग के अधीन है एवं इनके द्वारा सहकारी समितियों के आडिट करने के उपरान्त आडिट रिपोर्ट सहकारी समितियों /संस्थाओं को उपलबध करायी जाती है । गबन/गम्भीर अनियमितताओं की दशा में लेखापरीक्षक , लेखा परीक्षा पूरी हो जाने के पश्चात विशिष्ट आडिट प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 215 के अन्तर्गत निबन्धक, सहकारी समितियॉ को गोपनीय आवरण में प्रस्तुत करेगें ।

3. सहकारी समितियों/संस्थाओं के सुचारू रूप से आडिट कराने एवं आडिट प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध तरीके से कराये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त एवं निबन्धक,सहकारिता,उ०प्र०एवं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरों से परिपत्र संख्या सी –30/आडिट–गबन/ दिनांक 05.03.2002 निर्गत किया गया है ।

4. सहकारी समितियों के सामयिक आडिट रिपोर्ट के परिपालन का दायित्व सहकारी समिति का है , परन्तु गबन एवं गम्भीर अनियमितताओं की दशा में निर्गत विशिष्ट आडिट प्रतिवेदन पर आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ०प्र० द्वारा जॉचोपरान्त अपराधिक, प्रशासनिक एंव अधिभार

आदि की कार्यवाही की जाती है। सहकारिता विभाग द्वारा विशिष्ट आडिट प्रतिवेदनों के परिपालन हेतु शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जा रही है । गत वित्तीय वर्ष तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्गत विशिष्ट आडिट प्रतिवेदनों का परिपालन निम्न प्रकार हैं :--

वर्ष	वर्ष में निर्गत विशेष आडिट प्रतिवेदन	वर्ष में परिपालित विशेष आडिट प्रतिवेदन
2010–11	157	308
2011–12	105	223
2012–13	66	153
2013–14	53	89
2014–15	61	55
2015–16	32	58
2016–17 (माह मार्च/अप्रैल 2017 तक)	95	101

दिनांक 01.04.2016 (वित्तीय वर्ष 2016–17 के प्रारम्भ में) को 121 विशिष्ट आडिट प्रतिवेदन निस्तारण हेतु लम्बित थे माह मार्च/अप्रैल 2017 तक 95 विशिष्ट आडिट प्रतिवेदन प्राप्त हुए इस प्रकार कुल 216 लम्बित विशिष्ट आडिट प्रतिवेदनों के विरूद्ध माह मार्च/अप्रैल 2017 तक कुल 101 विशिष्ट आडिट प्रतिवेदनों का निस्तारण किया गया है। जिसमें पूर्व के दो में प्राप्त विशिष्ट आडिट प्रतिवेदन भी सम्मिलित है।

6. **किस से सम्पर्क करें :–**

परिपत्र सं०: सी–30/आडिट–गबन/ दिनांक 5.3.2002 के अनुसार जिला सहायक निबन्धक आडिट होने वाली समितियों की सूची, जिला लेखा परीक्षाधिकारी को उपलब्ध करायेंगें अतः समिति सहायक आयुक्त एंव सहायक निबन्धक,सहकारिता/जिला लेखा परीक्षा अधिकारी से समिति के वार्षिक आडिट पूर्ण करने हेतु सम्पर्क कर सकती है ।

7. **आडिट फीस :–** आडिट हेतु फीस का निर्धारण उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 222 के अन्तर्गत आडिटर द्वारा किया जाता है एवं समिति द्वारा आडिट फीस के निर्धारण पर कोई आपत्ति हो तो समिति नियम 222 के अन्तर्गत ही आयुक्त एवं निबन्धक , सहकारिता को प्रतिवेदन दे सकती है । वर्तमान में आडिट फीस का भुगतान वित्त विभाग द्वारा नियम 220 के अन्तर्गत निगर्त शासनादेश संख्या 5471/दस–300181/74 दिनांक 17.09.1977 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

8. **विशेष अनुसंधान शाखा (सह०) :–**सहकारी संस्थाओं/समितियों में गबन/आनियमितताओं प्रकरणों में विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा (सह०) द्वारा की जाती है, तत्पश्चात मुकद्दमों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही सम्पादित करायी जाती है । जिससे कि समितियों में गबन एवं अनियमितता की प्रवत्ति पर प्रभावी रोक लगायी जा सकें । राज्य सरकार द्वारा शासनादेश सं० 3019 सी/12 सी–बी –145/16/69 के द्वारा विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) का गठन किया गया है ।

विशेष अनुसंधान शाखा (सह०) में मुख्यालय स्तर पर पुलिस अधीक्षक, का कार्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस उपाधीक्षक के कार्यालय स्थापित किये गये हैं । प्रारम्भ में इस शाखा द्वारा रूपये 10 हजार से अधिक के अपराधिक प्रकरणों में विवेचना की जाती थी। शासनादेश संख्या–1294/12 सी–2–108/76 दिनांक 29.07.1997 के द्वारा इसमें वृद्धि कर

रूपये 50 हजार तक किया गया है एवं वर्तमान में शासनादेश संख्या–यूओ–07 /49–2–108/76 दिनांक 25.1.03 में रूपये एक लाख से अधिक के प्रकरणों में विवेचना इस शाखा द्वारा की जाती है। इस धनराशि से कम के प्रकरणों में विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा की जाती है। शाखा के मुख्यालय का पता निम्न प्रकार है :–

पुलिस अधीक्षक,
विशेष अनुसंधान शाखा (सह॰)
न्यू हैदराबाद ,लखनऊ,
उत्तर प्रदेश ।

शाखा द्वारा गत 6 वर्षो में प्राप्त प्रकरण एवं उसके सापेक्ष निष्पादन की स्थिति निम्न प्रकार हैं :–

कलेन्डर वर्ष	प्राप्त	निस्तारण
2011	35	27
2012	31	08
2013	26	16
2014	17	18
2015	25	27
2016	16	23
2017 (मार्च 17)	04	04

शाखा द्वारा अपनी स्थापना से मार्च 2017 तक किये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :–

प्राप्त प्रकरण	निस्तारित प्रकरण	अवशेष प्रकरण	आरोप पत्र	अन्तिम रिपोर्ट	गिरफ्तार	आत्म समर्पण
1	2	3	4	5	6	7
12955	12891	64	11414	1477	7517	4249

द०पु०सं० धारा 82/83 की कार्यवाही	सजा	रिहा	दाखिल दफ्तर
8	9	10	11
2031	2139	773	1511

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि शाखा द्वारा समायिक रूप से विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है माननीय विभिन्न न्यायालयों में मार्च 2017 के अन्त मे कुल 5141 अभियोग लम्बित हैं जिनमे से पांच वर्ष तक के 576 तथा पॉच वर्ष से अधिक के 4565 अभियोग लम्बित है ।

निबन्धक, सहकारी समितियॉ उ॰प्र॰, लखनऊ कार्यालय से सहकारी संस्थाओं /समितियों के आडिट एवं उनके परिपालन आदि की संख्यात्मक संकलित सूचना प्राप्त करनी हो तो आडिट अनुश्रवण अनुभाग के प्रभारी से सम्पर्क किया जा सकता है । जनपद एवं मण्डलीय स्तर पर आडिट की सूचना के सम्बन्ध में सम्बन्धित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक/ उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता उ०प्र० एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियॉ एवं पंचायते से सम्पर्क किया जा सकता है ।